# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 271/14 (वाद)
GCMS No. : 2014/00043

1. श्री नरेश पिता रामलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
2. श्रीमती तुलसी पत्नी रामलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
3. गोपी पुत्री रामलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।

............वादीगण

**बनाम्**

1. श्री जेतराम पिता वगता डांगी निवासी आसना तह. मावली। (**मृतक तर्क किया**)
2. श्री प्रभुलाल पिता जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
3. श्रीमती नर्बदा पुत्री जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
4. श्रीमती रूकमा पुत्री जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
5. श्रीमती अंशु पुत्री जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
6. श्री डालचन्द पिता वगता डांगी निवासी आसना तह. मावली।
7. श्री नोजीराम पिता वगता डांगी निवासी आसना तह. मावली।
8. श्री विष्णु पिता प्रभुलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
9. श्री बंशी पिता रूपा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
10. श्री जगदीश पिता सुखा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
11. रूपा पुत्री सुखा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
12. कनीबाई पुत्री सुखा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
13. श्री देवा पिता खेमा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
14. श्री नारायण पिता कना डांगी निवासी आसना तह. मावली।
15. श्री सुरेशचन्द्र पिता श्यामलाल जोशी निवासी रख्यावल तह. मावली।
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मदनलाल नागदा, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8
3. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 15

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
## निर्णय

दिनांक : 30.01.2023

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आसना पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1166, 1167, 1168, [illegible], 1170, 1171, 1174, 1175, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1200, 1201, 1202, [illegible]39, 1240, 1241 किता 25 रकबा 28

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1172, 1173, 1176 किता 3 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 993 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक की मौरूसी जायदाद है यानि उपरोक्त जायदाद वादीगण के पिता/पति के दादा वगता डांगी के समय की होकर वादीगण के पिता रामलाल के दादा वगता के निधन के बाद वगता के नाम दर्ज हिस्से की भूमि में वगता के तीनों पुत्रों यानि प्रतिवादी सं. 1, 6, 7 के नाम बराबर–बराबर हक हिस्से से राजस्व अभिलेख में दर्ज हुई। वादी द्वारा पैतृक भूमि में घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 से 7, 9 से 14 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रकरण में प्रतिवादी सं. 8 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी विष्णु को पंजीकृत दान पत्र से जेतराम जी ने भूमि हस्तान्तरित की हैं। जब तक पंजीकृत दान पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा देवे तब तक उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित हैं। उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से हमारी सुनवाई का आप न्यायालय को अधिकार नहीं हैं। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कर वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

2. अधिवक्ता वादीगण/अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस करना चाहा।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

**(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।**

**(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

**(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।**

**(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

**(ड) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।**

**(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।**

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। हमने वाद पत्र का अवलोकन किया। वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 8 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज होकर खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के दादा हैं। प्रतिवादी सं. 1 फौत हो चुके हैं। प्रतिवादी/प्रार्थी सं. 8 जेतराम का पौत्र होना जाहिर आया हैं। वादीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के वारिस होना बताकर प्रतिवादी सं. 8 के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया हैं।

6. वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 8 को पंजीकृत दान पत्र से दान कर दी, जिसका नामान्तरकरण सं. 879 दिनांक 22.08.14 को पारित होकर भूमि प्रतिवादी सं. 8 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 8 के नाम पर दर्ज हैं। प्रतिवादी सं. 8 जेतराम प्रतिवादी सं. 1 का पोत्र हैं। प्रतिवादी सं. 1 जेतराम HUF कर्ता खानदान होने से उसे अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व जायज जरूरतो के लिए बेचने/हस्तान्तरित करने का पूरा अधिकार हैं, उसी के नाते प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी सं. 8 को दान की हैं।

7. इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 2360/2016 उत्तम बनाम शौभाग सिंह व अन्य में दिनांक 02.03.2016 को निर्णय **"इस मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए, यह स्पष्ट है कि 1973 में जगन्नाथ सिंह की मृत्यु पर, संयुक्त परिवार की संपत्ति, जो जगन्नाथ सिंह और अन्य सहदायिकों के हाथों में पैतृक संपत्ति थी, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत हस्तांतरित की गई। जगन्नाथ सिंह की मृत्यु की तिथि पर पैतृक संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह गई, और अन्य सहदायिकों और उनकी विधवा ने संपत्ति को संयुक्त किरायेदारों के रूप में नहीं बल्कि किरायेदारों के रूप में रखा। यह मामला होने के कारण, 1977 में अपीलकर्ता के जन्म की तारीख पर, उक्त पैतृक संपत्ति, संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं होने के कारण, ऐसी संपत्ति के विभाजन**

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

**के लिए मुकदमा चलने योग्य नहीं होगा। फलस्वरूप अपील लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज की जाती है।"** पारित किया गया हैं। उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा होती हैं।

8. उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 8 के मध्य पंजीकृत दान पत्र सम्पादित किया हुआ है एवं उक्त दानपत्र के निरस्तीकरण का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं हैं। वादीगण चाहे तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर दाद प्राप्त कर सकता हैं। अतः वादीगण का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आने से बार्ड बाय लॉ पाया जाता है। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

## —: आदेश :—

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

## बईजलास श्रीकान्त व्यास, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री नरेश पिता रामलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
2. श्रीमती तुलसी पत्नी रामलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
3. गोपी पुत्री रामलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली। .....वादीगण

**बनाम्**

1. श्री जेतराम पिता वगता डांगी निवासी आसना तह. मावली। (**मृतक तर्क किया**)
2. श्री प्रभुलाल पिता जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
3. श्रीमती नर्बदा पुत्री जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
4. श्रीमती रूकमा पुत्री जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
5. श्रीमती अंशु पुत्री जेतराम डांगी निवासी आसना तह. मावली।
6. श्री डालचन्द पिता वगता डांगी निवासी आसना तह. मावली।
7. श्री नोजीराम पिता वगता डांगी निवासी आसना तह. मावली।
8. श्री विष्णु पिता प्रभुलाल डांगी निवासी आसना तह. मावली।
9. श्री बंशी पिता रूपा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
10. श्री जगदीश पिता सुखा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
11. रूपा पुत्री सुखा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
12. कनीबाई पुत्री सुखा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
13. श्री देवा पिता खेमा डांगी निवासी आसना तह. मावली।
14. श्री नारायण पिता कना डांगी निवासी आसना तह. मावली।
15. श्री सुरेशचन्द्र पिता श्यामलाल जोशी निवासी रख्यावल तह. मावली।
16. भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली। .....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

## मुकदमा न0 : 271/14 (वाद) GCMS No. : 2014/00043

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2023 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.02.14 12:57:21 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली